



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



समझौता ज्ञापन

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड

तथा

भारी उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार

के मध्य

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड
2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, सिरसी रोड़, जयपुर-302034

प्रबन्ध निदेशक कार्यालय:

रील हाऊस,
शिप्रा पथ,
मानसरोवर,
जयपुर-302020

फोन : (0141) 2940103, 2888511-514
वेब साईट : www.reiljp.com
ई-मेल : mdo@reiljp.com एवं mdo@reil.co.in

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड (स्टैंडअलोन) - समझौता ज्ञापन 2021-22

क्र.सं.	पैरामीटर का नाम	यूनिट	वेटेज	(2020-21) के लिए अनुमान	विरासत का सर्वश्रेष्ठ	लक्ष्य 2021-22
1.	संचालन से राजस्व	करोड़ रु. में	20			269
2.	संपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5			104.48
3.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में EBITDA	%	10			9.74
4.	नेटवर्थ पर रिटर्न	%	10			11.78
5.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	%	5			11.59
6.	प्रति शेयर आय	रु.	15			8.39
7.	उत्पादन (इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनेलाइजर)	संख्या	15			11630
8.	उत्पादन (सोलर एसपीवी मॉड्यूल)	मेगावाट	15			21.89
9.	संचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्तियां	दिनों की संख्या	5			60
		कुल	100			

टिप्पणी:

- लक्ष्य वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षित खातों पर आधारित हैं।
- बेंचमार्किंग के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए विजन पर भी विचार किया जाता है।
- असूचीबद्ध सीपीएसई के लिए प्रति शेयर आय।
- 50% से 100% लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए आनुपातिक अंक।
- लक्ष्य के 50.00% से कम उपलब्धि के लिए कोई अंक नहीं।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर उत्पादन पर भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि की पुष्टि की जानी चाहिए।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्धियों की गणना में, सीएजी/सांविधिक लेखा परीक्षकों की मात्रात्मक योग्यता को राजस्व/लाभ/अधिशेष या हानि/घाटे के अल्पकथन के मामले में समायोजित किया जाना है।

2021-22 के लिए अनुपालन पैरामीटर

क्र.सं.	पैरामीटर	अंक	स्रोत/सत्यापन
1.	GeM पोर्टल से कुल खरीद का 25%: (GeM के अनुसार वर्ष के दौरान GeM पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद)/ (संबंध पोर्टल के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद)*100	-2	GeM पोर्टल और संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
2.	चुनिंदा मामलों पर डीपीई दिशानिर्देश i) वेतन संशोधन दिशानिर्देश और वेतन संशोधन के लिए सीपीएसई की लाभप्रदता की समीक्षा ii) व्यय प्रबंधन आर्थिक उपाय और व्यय का रेशनलाइजेशन iii) सुगम्य भारत अभियान पर दिशानिर्देश (सुगम्य भारत अभियान) iv) शिक्षता अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश v) सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश	-2	सीएजी रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3.	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एलओडीआर) विनियम) में प्रावधानों का अनुपालन जैसे (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) बोर्ड समितियां (लेखा परीक्षा समिति इत्यादि) (iii) बोर्ड बैठकें आयोजित करना (iv) संबंधित पार्टी लेनदेन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता	-3	सीएजी/सांविधिक/सचिवालय लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिपोर्ट) के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4.	दीपम/नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य: i.लाभांश भुगतान ii.संपत्ति मुद्रिकरण माइलस्टोन iii.विशिष्ट विनिवेश माइलस्टोन	-2	दीपम/नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
5.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को खरीद और समय पर भुगतान (एमएसई के माध्यम से माल या सेवाओं की खरीद का 25% (संबंध पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान एससी/एसटी एमएसई से 4% और महिला एमएसई से 3% सहित)/ (संबंध पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद)	-2	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6.	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला लक्ष्य)	-1	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पुष्टि



प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड

दिनांक: 19.01.2022



सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय

दिनांक